राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1199/2008/भरतपुर

मै0 कलावती ऑयल मिल,
जुरहरा, भरतपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी,
   वार्ड–ए, भरतपुर
2. उपायुक्त(अपील्स)वा.क.भरतपुर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री विनय गोयल
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 02/11/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी–व्यवसायी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर,भरतपुर (जिसे आगे**"अपीलीय अधिकारी"**कहा जायेगा) के अपील संख्या 96/उपा–भरत/05–06/आरएसटी पारित आदेश दिनांक 06.01.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलीर्थी–व्यवसायी द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–ए, भरतपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) के समक्ष दिनांक 01.05.2002 को राजस्थान विक्रय कर अधिनियम 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम कहा"** जायेगा) की धारा 13–क के अन्तर्गत मुक्ति विकल्प योजना प्राप्ति हेतु (वर्ष–2002–03) आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी की वर्ष 2002–03 की बिक्री के आधार पर कर व ब्याज के रूप में रू0 34,977/– की मांग आदेश दिनांक 28.03.2005 द्वारा सृजित की गई। इसके पश्चात दिनांक 30.01.2006 संशोधन आदेश पारित करके रू0 3,600/– जमा पाये जाने पर ब्याज सहित रू0 4,950/– कम कर दिये तथा शेष राशि रू0 4,950/– अपीलार्थी द्वारा दिनांक 16.12.2005 को जमा करा दी है। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष टर्न ओवर टेक्स रू0 7,200/–एवं ब्याज रू0 2,700/– को अपील में विवादित किया। अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 06.01.2008 द्वारा अपीलार्थी व्यवसायी की अपील को अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी–व्यवसायी द्वारा टर्न ओवर टेक्स रू0 7,200/– तथा ब्याज रू0 2,700/– को विवादित करते हुए यह द्वितीय अपील पेश की है।

लगातार.....2

3. अपीलार्थी–व्यवसायी के अधिकृत अभिभाषक के बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी कमीशन एजेन्ट है तथा मुख्यतः घोषित वस्तुओं (declared commodities) का व्यवसाय करता है। अधिकांश बिक्री कर मुक्त, कर चुकी, आढ़तियों के मार्फत व मिल वालों को की गई है। इसके अतिरिक्त काफी मात्रा में बिक्री घोषणा पत्र एस.टी. –17 पर पुनः विक्रय की गई है, अतः TOT नहीं लगता है।

4. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा टर्न ओवर टैक्स विकल्प हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 01.05.2002 को सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था। अपीलार्थी ने व्यवसाय उस वस्तु का किया है, जिस पर टर्न ओवर टैक्स बनता है, इसी कारण अपीलार्थी द्वारा विकल्प लिया जाकर देय किस्त रू0 3,600/– जमा करायी गयी थी, यह अपीलार्थी ने स्वयं करायी है। अपीलीय अधिकारी ने भी इसे यथावत रखने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अतः अपील अस्वीकार की जाती है।

6. निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष